

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 फार्म 6621

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०

जिला

कैस का प्रकार

लातेहार

सं०

143

सम

2022-23

देश की क्रम
और तारीख

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

1	2	3								
	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कारवाही के बरवाडीह टिप्पणी ताशख साहित								
2.3.22	आवेदक/आवेदिका: <u>श्री मुन्नालाल गुप्ता</u> पिता/पति: <u>श्री रामरंग गुप्ता</u> जिला लातेहार के द्वारा C.S. सं० 113, पंजी 11 को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:- <table><thead><tr><th>गौजा</th><th>खाता नया/पुराना</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>E-4591</u> 02</td><td><u>7/8</u></td><td><u>335</u></td><td><u>62.50</u></td></tr></tbody></table> राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक.....को अभिलेख उपस्थापित करें। <u>R. Karf</u> 2.3.22 अंचल अधिकारी, बरवाडीह।	गौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा	<u>E-4591</u> 02	<u>7/8</u>	<u>335</u>	<u>62.50</u>	
गौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा							
<u>E-4591</u> 02	<u>7/8</u>	<u>335</u>	<u>62.50</u>							
3.22	अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री <u>मुन्नालाल गुप्ता</u> पिता/पति <u>श्री रामरंग गुप्ता</u> साकिन <u>गिराडी</u> में दाखिल खारिज वाद संख्या <u>207/14-15</u> के द्वारा रकबा <u>62.50</u> भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-									

